

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)**  
**// विविध-आदेश //**


क्रमांक 54/II-12-51/1997

जबलपुर, दिनांक 01 अप्रैल 2024

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक 1422 दिनांक 26.07.2017 में दिये गये दिशा निर्देश के अनुक्रम में विविध आदेश क्रमांक 186/दो-12-51/1997 दिनांक 26.10.2023 द्वारा गठित समिति निरस्त करते हुये जिला स्थापना पर कार्यरत न्यायाधीशगणों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करने के लिये निम्नानुसार वरिष्ठता क्रम में समिति गठित की जाती है :-

क्र.	विषय	क्र.	जांच कर्ता अधिकारी का नाम (वरिष्ठता क्रम में)
01	अधिकारीगण के विरुद्ध प्राप्त शिकायत	1	श्री गिरीश दीक्षित, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज.), जबलपुर।
		2	श्री योगराज उपाध्याय, विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि0) कं0 कं0 8 जबलपुर।
		3	श्री जयशंकर श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश (13वें), जबलपुर।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


  
आलोक अवस्थी  
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जबलपुर (म.प्र.)

पुं0 कं0 1576/II-12-51/1997

जबलपुर, दिनांक 03 अप्रैल 2024

**प्रतिलिपि यथा आदेश :-**

1. श्री .....  
जिला न्यायाधीश (.....)जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी कार्यालय/नाजरात अनुभाग जबलपुर।
3. निज सचिव, (प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की ओर माननीय महोदय को अवगत कराये जाने हेतु।
4. प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त न्यायाधीशगणों को ई-मेल द्वारा सूचना भेजी जाने हेतु प्रेषित।

  
वास्ते- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जबलपुर (म.प्र.)